न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व वाद नम्बर :– 40/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/310

उनवान

1. बालुराम आत्मज शंकरलाल महाजन निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. मनीष दाधीच – प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21/5/26

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के पिता के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 56/11 रकबा 5 बीघा स्थित थी। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 तक मय साबिक नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है।
2. प्रार्थना पत्र के कलम संख्या 1 में अंकित साबिक आराजी संख्या 56/11 रकबा 5 बीघा के नवीन नम्बर आराजी संख्या 518 रकबा 1.08 है0 बनाए गए। प्रार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में हाल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 मय नक्शा ट्रेस मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। ग्राम नाहरी का भूप्रबन्ध हुआ जिसमें भूप्रबन्ध के दौरान राजस्व कर्मचारियो ने रकबा तो सही दर्ज कर दिया किन्तु उक्त साबिक आराजी के साबिक नक्शा ट्रेस को उस अनुसार हाल नम्बर को फीट नही किया गया।
3. साबिक आराजी को हाल आराजी के अनुसार फीट नही कर बिलानाम आराजी संख्या 519 रकबा 0.30 है0 गै.मु. मंगरी को फीट कर दिया जबकि साबिक आराजी संख्या 56/11 आराजी संख्या 520 मंगरी व रोड़ के लगते हुए थी। बिलानाम आराजी संख्या 519 साबिक आराजी संख्या 56 मीन का बना है। साबिक नक्शे में आराजी संख्या 56 मीन प्रार्थी के साबिक नम्बर 56/11 के पश्चिम दक्षिण में स्थित था, जिसे प्रार्थी के हाल नम्बर 518 के पूर्व में आराजी संख्या 519 को आराजी संख्या 520 मंगरी व रास्ते के लगते हुए गलत ढंग से फीट कर दिया है। जिसे साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शे में दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है।
4. अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर साबिक आराजी संख्या 56/11 के अनुसार बने हाल नम्बर 518 आराजी संख्या 520 मंगरी व आराजी संख्या 520 को रोड़ के पास फीट कराया जावे एवं बिलानाम आराजी संख्या 56 मीन का हाल नम्बर 519 साबिक नक्शे में प्रार्थी की आराजी के पश्चिम दक्षिण में था के अनुसार नक्शा दुरूस्ती कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 07.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किए गए। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

6. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोट में अंकन किया कि :–

   1. ग्राम नाहरी के भूप्रबन्ध पूर्व जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 के खाता संख्या 459 में आराजी संख्या 56/11 रकबा 5 बीघा शंकरलाल पिता झुमराज महाजन निवासी नाहरी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी, जिसकी मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक व हाल राजस्व स्थिति निम्न प्रकार है –

साबिक		हाल	
आराजी संख्या	क्षेत्रफल	आराजी संख्या	क्षेत्रफल
56/11	5 बीघा	518	1.08 है0
56मी	25 बीघा 18 बिस्वा मे से	519	0.30 है0
56/6	1 बीघा मे से	513	0.14 है0

   ग्राम नाहरी की आराजी संख्या 518 रकबा 1.08 है0 किस्म रेतड़ी बालुराम पिता शकंरलाल महाजन निवासी नाहरी के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 519 रकबा 0.30 है0 किस्म गैमु. मंगरी बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 513 रकबा 0.14 है0 किस्म रेतड़ी बंशीलाल पिता रंगलाल दर्जी निवासी नाहरी के नाम दर्ज रेकार्ड है।

   2. साबिक व हाल नम्बर अनुसार तुलनात्मक विवरण का नजरी नक्शा संलग्न है।

   3. ग्राम नाहरी के साबिक आराजी संख्या 56/11 रकबा 5 बीघा के साबिक भू प्रबन्ध पूर्व नक्शे अनुसार पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 56/5, 56/6 बंशीलाल पिता रंगरलाल दर्जी के नाम दर्ज एवं दक्षिण दिशा में 56/4 नन्दलाल पिता छोगालाल ब्राहम्ण के नाम दर्ज रेकार्ड है। शेष पड़ोसान के साबिक नक्शे में आराजी नम्बर स्पष्ट नही होने से स्थिति स्पष्ट नही होती है। हाल आराजी संख्या 518 रकबा 1.08 है0 के उत्तर दिशा में आराजी संख्या 517 रकबा 0.36 है0 बिलानाम दर्ज जो मौके पर पड़त है। पूर्व दिशा में आराजी संख्या 519 रकबा 0.30 है0 बिलानाम है जिस पर प्रार्थी बालुराम पिता शंकरलाल महाजन के कब्जे में है, दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 524 रकबा 1.61 है0 खातेदार मांगीलाल शंकरलाल पिता बंशीलाल नाई के नाम खातेदारी दर्ज है, एवं मौके प कब्जा भी खातेदार का ही है। पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 512 रकबा 0.51 है0 बंशीलाल पिता रंगलाल दर्जी के नाम खातेदारी दर्ज है जिसमें मौके पर कब्जा खातेदार का ही है। आराजी संख्या 519 के दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 523 रकबा 0.55 है0 नन्दलाल के नाम खातेदारी दर्ज है व आराजी संख्या 521 रकबा 0.10 है0 नन्दलाल ब्राहम्ण के नाम खातेदारी दर्ज है मौके पर कालु पिता हरू ब्राहम्ण का कब्जा है, आराजी संख्या 519 के पूर्व दिशा में आराजी संख्या 520 बिलानाम व 611 गैमु.मंगरी दर्ज रेकार्ड है तो मौके पर ग्राम नाहरी से नाथड़ियास जाने वाली पक्की एमडीआर सड़क है।

   4. ग्राम नाहरी के बिलानाम आराजी संख्या 519 रकबा 0.30 है0 किस्म गै.मु. मगंरी प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 518 रकबा 1.08 है0 मे से रकबा 0.78 है0 पर बालुराम पिता शंकरलाल महाजन का पुराना कब्जा है। आराजी संख्या 518 के उत्तरी पश्चिम दिशा में रकबा 0.30 है0 पर कब्जा नही है। आराजी संख्या 518 व 519 मौके पर एक ही चक मे है।

उपखण्ड अधिकारी रायपुर
(...)

7. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान साबिक नक्शे के अनुसार नवीन नक्श दर्ज नही किया गया है जिसको साबिक नक्शे के अनुसार सही दर्ज करवाया जाना है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी का कब्जा साबिक रेकार्ड अनुसार है। प्रार्थी के कब्जे व साबिक रेकार्ड के अनुसार नवीन नक्शे में तरमीम शुद्वि करने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

8. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थी की साबिक आराजी संख्या 56/11 रकबा 5 बीघा भूमि का प्रार्थी के पिता खातेदार काश्तकार थे। साबिक आराजी के नवीन नम्बर आराजी संख्या 518 रकबा 1.08 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में साबिक एवं नवीन नक्शे में तफावट अंकित कर अपनी आराजियात की तरमीम दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि के प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। तरमीम दुरूस्ती से जुड़े प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 के अन्तर्गत आते है परन्तु प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तरमीम दुरूस्ती चाही गई है जो कि इस धारा के अन्तर्गत नही आता है।

वर्तमान प्रकरण खातेदारी अधिकारों को गहन रूप से प्रभावित करता है। अतः इस प्रकार की विषयवस्तु के प्रकरण को प्रार्थना पत्र के Summary Trail की लघु प्रकिया के बजाय विस्तृत विवेचन के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत् इस स्तर पर अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् भंलि भांति साबित नही होने से अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपनी आराजियात के सम्बन्ध में घोषणा का वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/5/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा